# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 2010 (फाल्गुन 20, 1931)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 131 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

### 2. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर के आनंद नगर में स्थानीय शासन के कार्य कराये जाने,

(2) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम जिले के किसानों की सब्जी विक्रय का कमीशन काटे जाने,

(3) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य ने नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में सर्वसुविधायुक्त श्मशान घाट का अभाव होने,

(4) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रदेश में आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं होने,

(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भोपाल के कोलार स्थित दानिश गृह निर्माण समिति की सड़क जर्जर हालत में होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं।

### 3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने भिण्ड जिले के रौन थानांतर्गत पहुज नदी में बस गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर भर्ती में अनियमितता किए जाने की ओर राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री लखन घनघोरिया तथा हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", सदस्यगण ने जबलपुर स्थित मेडीकल कालेज में स्टाफ की कमी होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 4. संपत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्री बाबूलाल गौर ने अपनी सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

## 5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन (द्वादश विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) प्रस्तुत किया।

## 6. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए एक हजार तीन सौ सात करोड़, तिरासी लाख, सत्ताईस हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 38 | आयुष के लिए एक सौ छप्पन करोड़, आठ लाख, चार हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 71 | जैव-विविधता(बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव-प्रौद्योगिकी(बायो-टेक्नालॉजी) के लिए तीन करोड़,पैंसठ लाख रूपये तथा |
| अनुदान संख्या - 73 | चिकित्सा शिक्षा के लिए एक सौ पिन्चानवे करोड़, बारह लाख, सत्तर हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 19 | 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 34, 36, 37, 38 |
| मांग संख्या - 38 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| मांग संख्या - 71 | 1, 2, 3, 4 |
| मांग संख्या - 73 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बालाराम बच्चन

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री लखन घनघोरिया
(4) श्री दीपक जोशी
(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(6) श्री पारस दादा
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(8) श्री सुरेश चौधरी
(9) श्री राधेलाल बघेल
(10) श्री शांतिलाल धबाई

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

(11) श्रीमती साधना स्थापक
(12) श्रीमती नीना वर्मा
(13) श्री श्रीकांत दुबे
(14) श्री सुदामा सिंह
(15) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(16) श्री सुदर्शन गुप्ता
(17) श्री मदन कुशवाह

(18) डॉ. गोविन्द सिंह
(19) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(20) श्रीमती ललिता यादव

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(21) श्री राधेश्याम पाटीदार
(22) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(23) श्री दिलीप जायसवाल
(24) श्री बृजमोहन धूत
(25) श्री मनीराम धाकड़

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 10 वन के लिए एक हजार तेईस करोड़, पच्चीस लाख, सैंतीस हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 10 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 29 |

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री अजय सिंह

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(2) श्री ज्ञान सिंह
(3) श्री रत्नेश सॉलोमन
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू
(6) श्री श्रीकांत दुबे
(7) श्री राजकुमार उरमलिया

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

(8) डॉ. निशिथ पटेल
(9) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(10) श्री पारस दादा
(11) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(12) श्री विश्वामित्र पाठक
(13) कुं. विक्रम सिंह नातीराजा
(14) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(15) राव देशराज सिंह यादव
(16) श्री केदारनाथ शुक्ला

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(3) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 33 | आदिम जाति कल्याण के लिए सात सौ सैंतीस करोड़, छह लाख, सात हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए तीन हजार एक सौ छब्बीस करोड़, चौबीस लाख, बहत्तर हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 49 | अनुसूचित जाति कल्याण के लिए छियालीस करोड़, बारह लाख, साठ हजार रूपये तथा |
| अनुदान संख्या - 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए दो हजार उन्तालीस करोड़, तिरेसठ लाख, तिरासी हजार रूपये. |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 33 | 1, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 24 |
| मांग संख्या - 41 | 2, 5, 7, 9, 12 |
| मांग संख्या - 49 | 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

(2) श्री अन्तर सिंह आर्य
(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(4) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(5) श्री बालाराम बच्चन
(6) श्री सुदामा सिंह
(7) श्रीमती सुलोचना रावत
(8) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(9) श्रीमती शशि ठाकुर
(10) श्री रामलखन सिंह

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 8.20 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 (फाल्गुन 21, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 11 मार्च, 2010**